भागवत कथा - 13

मीना-बांदा-उत्तर प्रदेश

यह एक और प्रकरण है, जिसमें बांदा जिले की मीना शिवबाबा की मुरलियों की गहराइयों को देखते हुए अपने-आप को **ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित किए बिना** रोक नहीं पाई।

Bhagawat Story-14:

Meena-Banda-From Uttar Pradesh:

This is another episode towards the depth of Murlis emerging from Shiv Baba is all about Miss. Meena of Banda from U.P who could not restrain from surrendering herself for the cause of Godly service and sacrifice.

मीना के पिता राकेश सिंह कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के साथ बांदा की गीता-पाठशाला में जाते रहे; परंतु अपनी ही बुरी आदतों के वशीभूत होने के कारण न **ज्ञान** में श्रद्धा रख पाए, न अपनी बेटी को प्रोत्साहन दे पाए। मीना **का** ज्ञान में **तीखापन व श्रद्धा-विश्वास उनको** अच्छा नहीं लगा तो वे मीना पर बंधन डालने लगे, ताकि वह **ज्ञान** में न चले। जब मीना को जबरियन **ज्ञान** में चलने से रोकने लगे, तो 19 साल की मीना के सामने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर भागने के सिवाय और कोई रास्ता बचा ही नहीं। आखरीन, मीना ने अपना निर्णय बताते हुए, बांदा थाने में ता.23-08-2011 को रजिस्टर पोस्ट द्वारा **अपने माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों से रक्षण प्रदान करने की माँग को लेकर एक पत्र भेजा**।

Meena's father Rakesh Sinh, resident of Aliganj, Banda used to attend the Murli Versions at Banda along with his daughter for quite some time. However, having unable to pay attention to the knowledge owing to his own accustomed vices, he developed disinterest in the knowledge. He could not even encourage his daughter. He became averse towards the knowledge and did not prefer to allow his daughter involve deep into the knowledge and started imposing restrictions on her. When he started restraining her from attaining spiritual knowledge forcibly, Meena, aged 19 years, was left with no alternative except to flee away towards Adhyatmik Vishwa Vidyalaya from home. While apprising her position and consequent decision, she has addressed a request letter to Banda Police Station by Regd. post on 23-08-2011 with request to provide protection from her parents and relatives.

फ़र्रुखाबाद में पहुँचते ही उसने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपने-आप को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करते हुए ता.24-08-2011 को एक ऐफ़िडेविट सौंपा। स्थिति को बताते हुए और पुलिस रक्षण माँगते हुए मीना ने फ़र्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को उसी दिन एक पत्र भी **रजिस्टर पोस्ट द्वारा** भेजा। मीना ने बांदा पुलिस को और साथ ही फ़र्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक को भी यह बात खास स्पष्ट की कि वह बालिग है और स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होकर वहीं रहना चाहती है। जैसे ही उनकी माता विमला देवी और पिता राकेश सिंह ने ता.24-08-2011 को फ़र्रुखाबाद पुलिस वालों को कम्प्लेंट की, दूसरे दिन ही ईश्वरीय परिवार के राजू भाई को बांदा पुलिस वालों ने **बगैर कोई एफ.आई.आर. दर्ज किए अरेस्ट कर लिया**। मीना के पत्रों पर न बांदा पुलिस वालों ने और न फ़र्रुखाबाद पुलिस वालों ने कोई खास ध्यान दिया । तीन दिन गुज़रते ही, ता.28-08-2011 को मीना के माता-पिता बाँदा पुलिस को लेकर फ़र्रुखाबाद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में **पहुँच गए**। बाँदा पुलिस के सामने मीना ने अपनी जन्मतिथि का प्रूफ़ दिखाते हुए **अपना** निर्णय बता दिया कि वह स्वेच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय में रहना चाहती है । बाँदा पुलिस सब इंस्पेक्टर तो देखता रहा; परंतु मीना के माता-पिता ने उसको खींचकर ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी; लेकिन मीना फिर भी **अपने** निर्णय पर अड़ी रही ।

While expressing her determined belief in the knowledge, she has also executed an affidavit on 24-08-2011 to the extent that she was surrendering herself for cause of Godly service. Simultaneously, on the same day, as a precautionary measure, she addressed a letter detailing the entire situation and her fears to the Superintendent of Police, Farrukhabad by registered post. Meena has in her letters addressed to the S.H.O., Banda as well to the Superintendent of Police, Farrukhabad made it quite clear that she was a major and wish to stay with the "AVV family" at her own will and without any pressure by anybody. The mother of Meena, Vimala Devi and father Rakesh Singh have approached the Police at Farrukhabad and lodged a complaint on 24th August, 2011.

On the very next day, one of the spiritual brothers Raju Bhai of Banda was taken into the illegal custody by Banda Police in the absence of any FIR having been lodged. Neither the S.H.O., Banda and the S.P., Farrkhabad have given any accord to Meena’s letters of request. And three days after, on 28th August, Meena’s parents rushed to Farrukhabad "AVV” along with a Police of Banda. Despite giving a clear statement as to her intention to stay in the "AVV" and showing her certificate of proof of age in the presence of police, Meena’s parents used all their energies to grab and take her back home, but Meena had stuck to her own decision.

अगर यह बात यहाँ खतम हो जाती, तो यह अनावश्यक लम्बा प्रकरण बनता ही नहीं। चार घंटे पूरे बीते ही नहीं, उसी दिन अर्थात ता.28-08-2011 को लगभग 20-25 कॉन्स्टेबल्स के साथ पुलिस अधिकारी **फ़र्रुखाबाद** आध्यात्मिक विश्वविद्यालय **पर टूट पड़े**। कन्याएँ-माताएँ उस समय आध्यात्मिक विद्यालय में अपनी दिनचर्या के अनुसार **ज्ञान** चिंतन में लगी **हुई** थीं।

If the attempts end here, this episode would not have had a further unnecessary and lengthy walk ahead. Within 4 hours on the same day on 28th August, around 20 to 25 male Police Officers and constables along with the parents of Kum. Meena, forcefully intruded into the Farrukhabad "AVV". It was the time when the mothers and sisters were in regular course of churning of the spiritual knowledge.

पुलिस वाले विद्यालय में कोई औपचारिक पूछताछ किए बगैर जोर-जबरदस्ती, मनमाने तरीके से अपनी वर्दी व पद का दुरुपयोग करते हुए सारे दरवाज़े तोड़ते हुए कन्याओं-माताओं के कमरों में घुस गए। कोई महिला पुलिस (अथवा सर्च वारंट) भी उनके साथ नहीं था।

The police, in sheer disregard of the constitutional rights and formalities of the Vidyalaya; even without any formal enquiry; and in disrespect of their own uniform, intruded into the rooms of mothers and sisters by break opening the shutters and doors of the "AVV". Neither any search warrant nor any lady police are with them.

फ़र्रुखाबाद के गुलाबी गेंग की मुखिया अंजली यादव, सरला पांडे और उस गेंग के बहुत-से अनुचर भी पुलिस वालों के साथ जोर-जबरदस्ती अन्दर घुस आए और तोड़-फोड़ व मार-पीट करने में **अपनी ताकत दिखाने लगे।**

One Gulabi Gang of Farrukhabad with their leaders Anjali Yadav and Sarla Pande followed by a number of their followers also intruded inside simultaneously and used their energies in ransacking the house and beating the brothers, sisters and mothers of the "AVV".

पुलिस वालों ने **गुलाबी गेंग के साथ हाथ बँटाना शुरू कर दिया**। पुलिस वालों को याद ही नहीं आया था कि वे अपने साथ महिला पुलिस नहीं **लाए** हैं। देर से ही सही, उनको महसूस तो हुआ- आखिर क्या गलती हो गई! एक घंटे में ही कन्याओं-माताओं को धक्के देते हुए, मार-पीट करते हुए, शर्मनाक गालियाँ देते हुए **लेडीज़ पुलिस कूद पड़ी**। पुलिस वालों की नृशंसता देखकर उनकी आँखों के सामने ही गुलाबी गेंग भी **गुंडा**गर्दी पर उतर पड़ी।

The Police, all being males joined hands with the Gulabi Gang in harassing the inmates of the "AVV" indiscriminately. There were no lady police at that moment. The male police have noticed their lapse after a while and called for lady police who have joined the mob an hour later. The lady police jumped into action; crossed all the limits of cruelty in abusing, thrashing, beating and misbehaving with the innocent girls and Matas of the "AVV" mercilessly along with the male police using abusive language. Seeing the cruel attitude of the police, the Gulabi Gang also joined hands in harassing the inmates.

कु. मीना ने जिन बड़े अधिकारियों को अपनी रक्षा के लिए पत्र सौंपे थे, वे पत्र तो कचड़े के डिब्बे में फेंक दिए **गए**। जिनसे रक्षण की आशा **रखी थी, वे पुलिस** वाले गुलाबी गेंग के साथ मार-पीट करने में हाथ बँटा रहे थे, जिन चोटों की गहराइयों की साक्षी लोहिया हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स खुद बन गईं। विद्यालय के वासी- हर्षा बहन, रोहिणी बहन, वेदावती, मनीषा, मृणाल, पार्वती और सरोज माता चोटों पर मरहम-पट्टी लगवाकर वापस आध्यात्मिक विद्यालय में पहुँचे थे, जिनकी चोटें शांत होने में भी काफ़ी वक्त लग गया था।

The request letters for Police protection addressed by Meena to Police authorities found their destinations in the dustbins. The police from whom safety is anticipated have extended their support to the Gulabi Gang till the limits of cruelty. The havoc created by the joint approach of police and Gulabi gang is evidenced by the medical reports of the girls given by the Ram Manohar Lohiya hospital on the same date. A few names of the innocent girls and Matas who faced severe injuries are; Harsha, Rohini, Vedavati, Manisha, Mrunal, Parvati and Saroj mata. The innocent girls and mothers returned from the govt. Hospital with bandages and it took much time to recover from their injuries.

भीड़ ने विद्यालय के सक्रिय सदस्य वयोवृद्ध शांतिबाबू को भी नहीं छोड़ा। उनको भी मारा-पीटा गया और गुलाबी गेंग व उनके साथ अंदर घुसे हुए 250 गुंडे शांतिबाबू के सिर से बहते हुए खून को देखते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वस्तुओं को लूटने में लगे रहे।

Even the senior citizen Shanti Babu, an active member of the "AVV family" was not spared. He was also beaten severely. He received severe major injury on his head causing a lot of bleeding. And the entire mob were engaged in loot of the "AVV". The devastating mob consisted more than 250 intruders.

भले पहले सिनेमा के पर्दे पर अनेकानेक धार्मिक सीरियल्स में यज्ञ विध्वंस के राक्षसी करतब देखे थे और अभी प्रैक्टिकल में भी देख लिए। हर्षा बहन जो कि माइक्रो-बायोलॉजी में यू.एस.ए. से ग्रेजुएट रही है, जब

आततायी पुलिस व गुलाबी गेंग का सच्चाई से सामना करने लगी तो उसे भी उन्होंने काफी प्रताड़ित किया और मेल पुलिस व लेडीज़ पुलिस ने मिल करके हर्षा बहन को बालों से पकड़कर खींचते हुए जीप में डाल दिया।

Well, many might have seen the barbarous deeds of the demons ravaging the sacrifices on the cinema screens and in a number of religious serials; and some might have seen in practical also. The lady police in hands with male police, thrashed spiritual sister Miss Harsha, a graduate in microbiology from U.S.A., caught hold of her hair and dragged her into their jeep when she was trying to face them along with the Gulabi Gang with an explanation of Truth.

यह शर्मनाक कांड **शाम** 5 बजे तक चलता रहा। उसी समय एक सरकारी अधिकारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आ पहुँचे। गुलाबी गेंग की मुखिया अंजली यादव, सरला पांडे व उसके अन्य अनुचर और अन्य गुंडों-बदमाशों के खिलाफ हर्षा बहन द्वारा फ़र्रुखाबाद थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी (केस **क्राइम** नं. 332/11)।

The entire havoc continued for four hours and at 5 P.M on the same day, a senior government official came to the "AVV". An F.I.R has been lodged with Farrukhabad police station against the leaders of Gulabi Gang Anjali Yadav and Sarla Pande all those who have resorted such irresponsible behavior under Crime NO. 332/11.

अपने वयस्क होने का प्रूफ़ दिखाते हुए भी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने की अपनी इच्छा जताते हुए भी, कुमारी मीना के बयान पर ध्यान न देते हुए, उसको भी पुलिस की मदद से घसीटकर **फ़र्रुखाबाद के थाने में ले जाया गया।** अगर पुलिस वालों ने तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत उसका बयान दिलवाया होता और अखबार वाले लोगों का भड़काना बंद किया होता तो शायद ही फ़र्रुखाबाद के लोगों के दिलों में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रति नफ़रत पैदा नहीं हुई **होती**। लेकिन पुलिस वालों ने फर्रुखाबाद लोकल मजिस्ट्रेट के सामने मीना के बयान न करवाकर उक्त मामले को बांदा पुलिस के साथ रफा-दफा कर दिया।

The senior government official have forcibly taken the custody of Kum. Meena with the help of the Police while her statement before the Police as to her own volition of joining the "AVV" and intimating the fact of her being major has gone to winds. Had the police got obtained statement under section 164 Crpc from Meena in the presence of the Magistrate and had the News media stopped adding fire by provoking the public of U.P; perhaps the public would not have developed

grudge in their minds against the "AVV". Despite; the police instead of obtaining the said statement before the local Magistrate of Farrukhabad has handed over the matter to Banda police.

पुलिस वालों का गुलाबी गेंग और अन्य गुंडों के साथ मिल करके किया हुआ अमानुषिक, अनैतिक, असभ्य व्यवहार का विरोध करते हुए, फ़र्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक, जिला मैजिस्ट्रेट व डी.जी.पी., लखनऊ को हर्षा बहन के द्वारा दिए गए कम्प्लेंट्स पत्र **बिना कोई कार्यवाही के** वैसे ही उन-2 दफ़्तरों के कूड़ेदानों में पड़े रहे।

The complaints addressed by sister Harsha to the S.P., Farrkhabad, District Magistrate, Farrukhabad, D.G.P. Lucknow and the so called National Commission for Women, explaining the inhuman, immoral, indecent behavior of the Police in hands with Gulabi Gang have again found their way to the dustbins of their respective offices carried over the trollies of inaction.

आला अधिकारियों के ऐसे व्यवहार ने पुलिस वालों की निष्क्रियता और आसुरी शक्तियों को और **ही प्रो**त्साहित कर दिया। जैसे कि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। **आबू** पहाड़ों से मिलती रही हिम्मत वा धन प्रवाह की कोई कमी न **रही**। हाँ, गुलाबी गेंग **की मुखिया** अंजली यादव और सरला पांडे के नेतृत्व में फिर एक बार गुंडों ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय **के ऊपर ता.01-09-2011 को** आक्रमण किया। जो कुछ बचा-**खुचा** होगा, उसे भी समाप्त करने के लिए। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की दैनंदिनी विधियों में विघ्न डालते हुए, फिर वही मार-पीट, लूट, तोड़-फोड़ की गई।

The silence under the guise of inaction of the police and Government Officials has given a further strength to the evil elements as if a free license was accorded to them allowing whatever they want to do against the "AVV". There was no shortage of support, whether it be manpower or a financial assistance flowing from the Abu Hills. With these strengths in the backdrop, the Gulabi Gang led by Anjali Yadav and Sarla Pandey in hand with local Goondas attacked and ransacked the "AVV" again on 1st September, 2011; with an aim to destroy whatever is remaining; and to disrupt the daily spiritual activities of the "AVV family"; Again same loot, ransack and devastation was resorted to.

उन गुंडों ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वासियों के ऊपर कितने पत्थर फेंके थे, कितना सामान लूट कर ले गए, कितने लोगों को चोट पहुँचाई थी, कितनी अश्लील और अभद्रतापूर्वक गालियाँ देते रहे- इन सब चेष्टाओं की गिनती कहाँ तक बता पाएँगे ! वह काम तो मीडिया वालों पर ही छोड़ देंगे। हाँ ! पहले वाले 28.08.2011 के आसुरी व्यवहार में और अब के अर्थात ता.01-09-2011 के व्यवहार में खास अंतर

यही रहा कि उस समय उनके साथ पुलिस वालों **का** प्रत्यक्ष सहयोग रहा, जबकि अब परोक्ष। चलो, **अब** न्यूज़ मीडिया वालों को अपना सर्क्युलेशन (टी. आर. पी.) बढ़ाने का त्योहार मनाने दें !

They repeated their cruel actions in the absence of any fear from the police; shouted with indescribable abuses, pelted stones, looted the belongings of the inmates of the "AVV" injuring them seriously. To which extent we can count and put all these shameful incidents in black and white! We shall have a respite and leave the rest to the news media. who are able enough to make such episodes, a source of circulation with the headings of the newspapers highlighting the situation in their own colors. Yes, there is a striking difference between the devilish deeds mentioned herein is that there was a direct hand of the Police in earlier intrusions and harassment on 28-08-2011; whereas there is an indirect support in the latest attacks on 01-09-2011. Let's have a look to some scenes of the festival of circulation (T.R.P)by the news media.

02-09-11	दैनिक जागरण	आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जमकर तोड़-फोड़। सेवादारों को पीटा। गुरुवार को नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराने की माँग के साथ गुलाबी गेंग एवं जनक्रांति पार्टी की महिलाओं ने भीड़ के साथ हंगामा किया।
30-08-11	दैनिक जागरण	आश्रम के मामले में पल्ला झाड़ रही फ़र्रुखाबाद पुलिस

09-02-11	Dainik Jagaran	Loot, torment and torture of resident members in service of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The havoc created by the women of Gulabi Gang and Janakranti party party on Thursday on the demand of releasing the minor girls.
30-08-11	Dainik Jagaran	Farrukhabad Police on "U" in the matters of Ashram.

सोची-समझी साज़िश के तहत कुमारी मीना को बांदा पुलिस को सौंप **दिया** गया, ताकि उनके माता-पिता वहाँ के पुलिस वालों से कंधे से कन्धा मिलाकर मीना पर मानसिक अत्याचार करते हुए उसके मन में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रति ऑपोजिशन का भाव पैदा करें। **इन उपरोक्त सारे शर्मनाक कांड के बाद** वहाँ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों के खिलाफ मीना के अपहरण की झूठी व बनावटी एफ.आई.आर. भी **रजिस्टर** की गई थी। मीना के प्रतिरोध पर ध्यान न देते हुए, **कु. मीना का कुमारीपन के परीक्षण के लिए** जबरियन मेडिकल टेस्ट करवाया गया।

Miss Meena was handed over to Banda Police in a preplanned conspiracy and a false and concocted FIR was filed with the police subsequent to the shameful tortures in the name of raid; in order to facilitate her parents torture her, in connivance with Police Officers and to brain wash her and tune her against the "AVV". Meenaa was forcibly subjected to virginity test against her will.

इंतज़ार कर-करके आ.ई.वि.वि. परिवार वालों ने कुमारी मीना को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाने की माँग को लेकर ता.01-09-2011 को ही उच्च पुलिस अधिकारियों के आगे एक कम्प्लेंट कर दी लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई; क्योंकि मीना के परिवार वालों के और उनके रिश्तेदारों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर मीना को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के विरुद्ध भड़काने का, यातनाएँ देने का उपक्रम चल रहा था।

The legal demand of the "AVV family" members dated 01-09-2011 with the Higher authorities of Police to produce Meena before the Magistrate was found pale and futile before the inaction of the Police department for the reason that the intermediary time was being used to threaten and torture Meena and provoke her against "AVV family" in hand with the family members of Meena.

मीना को नारी निकेतन भेजने की धमकियाँ भी दे रहे थे। यातनाएँ देते-2, जब पुलिस वालों को कुछ हद तक विश्वास हुआ कि अब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, उसी विश्वास को ले करके पुलिस वाले आखिर पूरे एक हफ़्ते के बाद ता.03-09-2011 को बांदा मैजिस्ट्रेट के सामने मीना को पेश कर पाए। इतने दिन किसी पीड़िता को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना **पुलिस हिरासत में रखना और** यातनाएँ देना, क्या यह गैरकानूनी नहीं है ?

Meena was threatened that she will be sent to Nari Niketan if she does no co-operate. In result of repeated tortures, when the Banda police were satisfied that Meena would co-operate with them, then it was an inevitable circumstance for

them to produce her before the magistrate. And they have produced Meena after a week on 3rd September, 2011 before the Magistrate, Banda. Is it not a disregard to the Law in torturing a young girl and producing her after a lapse of a week!

निर्दोष कन्या मीना ने 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अपने बयान में मैजिस्ट्रेट के सामने यह भी स्पष्ट किया था कि वह वयस्क है और अपनी मर्ज़ी से आ.ई.वि.वि. परिवार के साथ रह रही है। यह बात स्पष्ट थी कि उसको किसी ने किडनेप नहीं किया था, जिस बात को ले करके अखबार वाले हो-हल्ला मचा रहे थे। लेकिन अगर अखबार वाले ये सच्चाइयाँ ज्यों की त्यों, बिना मिर्च-मसाला मिलाए छापेंगे तो वह कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़े ही बनेगी और फिर टी. आर. पी. कैसे बढ़ेगी?

The innocent girl in her subsequent statement before Magistrate under section 164 Crpc; has made it clear that she is a major and staying with the "AVV family" at her own will and without being pressured by anybody. It was ultimately clear that no one has kidnapped her. The news media has made a mess of the reputation of the "AVV family" by creating baseless Head Lines "Kidnap" as "Breaking News" as a part of their celebration of circulation. How can a news be a breaking one in the absence of creating and adding some hot and salt to their illegitimate creation! And how can be there an increased T.R.P !

04-09-11	अमर उजाला	बाँदा में किशोरी के कलमबंद बयान हुए, माँ-बाप को सौंपी
04-09-11	अमर उजाला	बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित आश्रम को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। शनिवार को शहर के लोग आश्रम बंद कराए जाने की माँग को लेकर सड़कों पर उतरे।

09-04-11	Amar Ujala	Anger of the people on rise in respect of the ashram of Baba Virendra Deo Dixit . People on roads on Saturday with demand to shut down the ashram.
09-04-	Amar	The statement of the girl obtained in Banda. Handed over

11	Ujala	to parents.

दिनांक 28-08-2011 से ले करके घटित हुई स्थितियों **का** वर्णन करते हुए और अपने माँ-बाप के बंधनों से छूटकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में वापस जाने **की** अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मीना द्वारा लिखी हुई विनतियों का **देर तक** कोई रिज़ल्ट न मिला। अखबारों की उत्तेजनात्मक ब्रेकिंग न्यूज़ का अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। फ़र्रुखाबाद के रहवासियों के दिलों में आग भड़क उठने का कारण न्यूज़ मीडिया वालों की आ.ई.वि.वि. परिवार के विरोध में उत्तेजनात्मक और बे-बुनियाद वार्ताएँ नहीं तो और क्या हो सकता है !

The requests made by Meena explaining the sequences of incidences since 28th August, 2011 expressing her deep wish to go back to the "AVV" placed before the Supreme Court and High Court remained unresponsive for quite some time. No end was seen nearby to the frequent series of provocative Breaking News by the News Media. If not the frequent series of baseless Breaking News by the News media, who could it be that were igniting and provoking the fire in the hearts of the residents of Farrukhabad against the peaceful "AVV family"!

03-09-11	दैनिक जागरण yahoo	बाबा के आश्रमों पर ख़ुफ़िया विभाग की नज़र।
04-09-11	दैनिक जागरण	गलत है आश्रम में नाबालिग लड़कियों को रखना
04-09-11	अमर उजाला	युवाओं ने बाबा वीरेंद्र देव का पुतला फूँका
06-09-11	दैनिक जागरण	वीरेंद्र देव का आपराधिक इतिहास तलब
06-09-11	दैनिक जागरण	आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ संदिग्ध : महिला आयोग
04-09-11	अमर उजाला	बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को शहर के लोग आश्रम बंद कराने की माँग को लेकर सड़कों पर उतरे।

Dainik Jagaran	09-02-11	Loot, torment and torture of resident members in service of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The havoc created by the women of Gulabi Gang and Janakranti party in huge gatherings on Thursday with demand to release the minor girls.
Dainik Jagaran Yahoo	09-03-11	The eye of C.B.C.I.D on Baba's Ashrams.
Dainik Jagaran Yahoo	09-04-11	The youngsters have burnt the effigy of Virendra. It is wrong to keep minor girls in the Ashram.
Dainik Jagaran Yahoo	09-04-11	The youth women wing of BJP in course of authoring war tactics. "Doubt as to the duties and actions of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya ". Women's Commission. "Virendra Deo Dixit be arrested." The Human rights Association.
Amar Ujala	09-04-11	Anger of the people on rise in respect of the ashram of Baba Virendra Deo Dixit . People on roads on Saturday with demand to shut down the ashram.

शांतिपूर्वक चलने वाले आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सामने उद्वेगपूर्ण वातावरण **बना रहा**। भड़के हुए लोगों की भीड़ जमा हुई पड़ी थी।

There was a violent and climate of anxiety outside the compound of the Ashram. Huge gathering of the people in outrage.

05-09-11	दैनिक जागरण	विवादित (फ़र्रुखाबाद में) आश्रम के सामने दिनभर हुआ बवाल। बाबा के पुतले फूँके।

07-09-11	दैनिक जागरण	धारा 144 लागू होने के बाद आश्रम के बाहर व गली में पसरा सन्नाटा ; बाबा का पुतला फूँका – नारेबाज़ी

Dainik Jagaran	09-05-11	Havoc in front of the Ashram all the day. Baba's effigy set on fire.
Dainik Jagaran	09-07-11	Baba's effigy burnt-Slogans. The guilty history of Baba Virendra Deo Dixit under enquiry. Silence near the Ashram after impose of Section 144.

भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित की छवि को धूमिल व मलिन करने के लिए और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वासियों को गलत साबित करने के लिए कई वर्षों से मीडिया वाले लगे हुए थे, आज के दिन, जबकि भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के ऊपर, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय-वासियों के ऊपर थोपे गए ढेर आरोप झूठे साबित हो गए, क्या वे मीडिया वाले इन छापे गए झूठे आरोपों को मिटा पाएँगे और क्या वे भ्राता वीरेन्द्र देव व आध्यात्मिक परिवार के सामने बिना किसी शर्त के माफी माँगेंगे ? क्या वे जन प्रवाह के दिलों में जमी ग्लानि रूपी धूल को साफ़ कर पाएँगे ?

Today, in the circumstances where all the major cases instigated against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and other "AVV family" members proved faulty and created in the lines of conspiracies, can the news media which was continuously behind Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and "AVV family" members, supporting the evil forces; erase the Braking News against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and the members of the "AVV family"? Can they expect excuses from Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and the "AVV family" unconditional ? Will they be able to remove the dusty storms of hatred in the hearts of the people?

09-09-11	आज	बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की सैकड़ों पत्नियाँ व बेटियाँ
07-09-11	दैनिक जागरण	आध्यात्मिक आश्रम गिरवाने को नोटिस की तैयारी

10-09-11	दैनिक जागरण	बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय संवासिनियों के आश्रम छोड़ने पर प्रशासन ने रोक लगा दी। बाबा के आगे प्रशासन बेबस। बाबा वीरेंद्र देव आश्रम के रहस्य को उजागर करने की माँग को लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच रहा है। बाबा के खिलाफ़ शहरवासियों ने दिए बयान। रक्षक के बजाय पुलिस ही बन गई भक्षक। बाबा का पुतला फूँका। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरोध में ब्लाक ब्रिगेड वा अन्य संघटनों से जुड़ी महिलाओं ने केंडिल मार्च निकाला।
11-09-11	दैनिक जागरण	पल-2 की जानकारी ले रहे वीरेंद्र देव। जो एक बार आश्रम से जुड़ गया, वह बाबा का ही हो गया- इसे आस्था कहा जाए या अंध विश्वास !
19-09-11	दैनिक जागरण	ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यकर्ता गिरफ्तार।
10-09-11	अमर उजाला	ब्लैक ब्रिगेड, गुलाबी गैंग ने निकाला कैंडिल मार्च ; युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाकर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का पुतला जलाया और जमकर नारेबाज़ी की ; युवाओं ने वीरेंद्र देव का पुतला फूँका
13-09-11	अमर उजाला	युवा शक्ति ने आश्रम के खिलाफ़ किया प्रदर्शन। आश्रम की सी.बी.आई. जाँच कराई जाएँ। वरिष्ठ नागरिकों की बैठक में उठी आवाज़।
10-09-11	हिन्दुस्तान	महिलाओं ने केंडिल मार्च निकाल जताया विरोध। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के विरोध में बयान देने वालों की भीड़ शुक्रवार को सिटी मैजिस्ट्रेट की न्यायालय में लगी रही। बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में बच्चों को रखने का कोई अधिकार नहीं। आश्रम को एक और नोटिस।
13-09-11	हिन्दुस्तान	युवाओं वा महिलाओं ने कहा कि रहस्य का पर्दाफाश होना चाहिए।

Dainik Jagaran	09-07-11	Hundreds of eternal wives of Baba in the Ashram. The notice to demolish the Ashram ready.
Dainik Jagaran	09-10-11	Prohibitory orders by the Government restricting the moments of the lady saints of the Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya of Baba Virendra Deo Dixit out of the Ashram premises. Government helpless in the presence of Baba. The anger of the people touching the seventh skies with demand to unearth the secrets of the ashram of Baba Virendra Deo Dixit . The residents of the town has given statements against Baba. Instead of saviors the Police becoming eaters. Baba's effigy burnt. Candle march by women belonging to Black brigade and other groups against Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya .
Dainik Jagaran	11-09-11	Virendra Deo keeping the news at every moment. Whoever join the Ashram, became of Baba. Can this be a belief or a blind belief ?
Dainik Jagaran	19-09-11	Arrest of the member of Ishwariya Vishwa Vidyalaya
Amar Ujala	09-10-11	The black brigade and Gulabi Gang resorted to Candle march. The member of Yuva Shakti raised slogan and burnt the effigy of Baba on the pretext that Baba Virendra Deo Dixit was promoting damage to the religious feelings.
Amar Ujala	13-09-11	A road show by Yuva Shakti Members against Ashram. "Let C.B.C.I.D investigate the Ashram". The voice of the senior citizens in their meetings.

Hindusthan	09-10-11	The women started candle march and expressed opposition. Crowd gathered at the Court of City Magistrate to give statements against Baba Virendra Deo Dixit on Friday. There is no right to keep children in the Ashram of Baba Virendra Deo Dixit. Another notice to Ashram.

The youth and women said the secrets need to be unearthed.

अखबारों की उत्तेजनात्मक वार्ताओं **का एक और** दर्दनाक नतीजा, यू.पी. में जिनके भी बच्चे गुम हो गए थे या घर छोड़ भागे थे, उनमें से कुछ लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पुलिस को ले करके अपने गुमशुदा बच्चों को ढूंढने पहुँच रहे थे।

Another painful reaction from public in result of the provocative and inciting news creating furor by the News media spread over the entire U.P and other states is that mothers and fathers of their missing girls, who left their homes for elsewhere for their own reasons, blindly and unconvincingly started approaching the "AVV" in search of their missing children along with the Police of their respective places. Again there was some more fuel to the already spreading fire led to further ravage in farrukhabad.

05-09-11	दैनिक जागरण	बेटी तलाशने आई महिला समेत 6 हिरासत में
07-09-11	दैनिक जागरण	कालपी से अपहृत किशोरी की तलाश में लोग आश्रम पहुँचे
06-09-11	दैनिक जागरण	बेटी की तलाश में इटावा से आई सरोज सहित 6 लोग रिहा
13-09-11	दैनिक जागरण	ईश्वरीय आश्रम : 5 माह से लापता सहेलियों की तलाश : सर्च वारंट जारी। पिता के साथ मिर्जापुर पुलिस ने डेरा डाला।
14-09-11	दैनिक जागरण	सिकत्तरबाग आश्रम में नहीं घुस सकी मिर्जापुर पुलिस।

Dainik Jagaran	09-05-11	Arrest of the woman and 6 others who came in search of her daughter.
Dainik Jagaran	09-06-11	People reached Ashram in search of their girl kidnapped from Kalpi. Release of Saroj along with six others who came from Itawa in search of daughter .
Dainik Jagaran	13-09-11	Ishwariya Ashram: Search of 5 friends (girls) missing since 5 months. Search warrant issued. Mirjapur Police along with the father at Farrukhabad.
Dainik Jagaran	14-09-11	Mirjaur Police could not enter the Sikhaththarbagh Ashram.

अब जो कुछ सत्यानाश होना था, वह हो गया था, तब किसी-2 जर्नलिस्ट लोगों के दिल में छोटा-सा दीया जला।

Now the destruction that is aimed at was done. Then, some kindness entered in the hearts of some journalists to throw some non-sensational news also.

10-09-11	अमर उजाला	बाँदा की मीना ने सी.जे.एम. कोर्ट में दिए कलमबद्ध बयान में बताया कि वह अपनी इच्छा से आश्रम आई थी।
11-09-11	अमर उजाला	किशोरी ने कहा, स्वेच्छा से गई थी फ़र्रुखाबाद। बाँदा की मीना :

Amar Ujala	09-10-11	Meena of Banda has given statement on oath before the court of C.J.M. She told, she has come to the Ashram at her own will.
Amar Ujala	09-11-11	The girl has said, came to Farrukhabad at her own will. Meena of Banda.

कम-से-कम उपर्युक्त न्यूज़ देखने के बाद फ़र्रुखाबाद का वातावरण थोड़ा-बहुत थमना चाहिए था । जनमानस में उद्वेग व विकारों की आग लगाना जितना आसान होता है, उतना ही बुझाना कठिन होता है।

The situation should have cooled down after seeing the above published news. But, to put off the fire is not that easy when seen with the igniting of the fire of vices.

आ.ई.वि.वि. परिवार ने एक तरफ़ पुलिस से और दूसरी तरफ़ अंजली यादव द्वारा संचालित गुलाबी गेंग और शकुंतला शाक्य द्वारा संचालित जन क्रांति मोर्चा के अत्याचारों व दुष्परिणामों से रक्षण हेतु फ़र्रुखाबाद के सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने अर्ज़ी भी दाखिल की ।

The "AVV family" members have submitted an application before the City Magistrate, Farrukhabad seeking protection from the continued atrocities of the Police, Gulabi Gang led by Anjali Yadav, Jana Kranti Mahila Morcha led by Shakuntala Shakya.

इसके अलावा, आ.ई.वि.वि. परिवार की कुमारी हर्षा बहन के द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने माँ-बाप के चंगुल में बंधी हुई कुमारी मीना को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट हेबिअस कार्पस **फ़ाइल** भी किया गया था, (रिट पिटिशन नं. 192/2011) ता.09-11-2011 को । फिर उस रिट पिटिशन को **विदड्रा** किया गया था ताकि **इलाहाबाद** हाई कोर्ट से समुचित रिलीफ़ मिल सके ।

In addition, Kum. Harsha bahan has filed a writ petition in Supreme Court on 9th September, 2011 to issue a writ of Habeas Corpus to issue direction that Kum. Meena Singh be released forthwith from the unlawful and wrongful confinement from her parents against her wishes and being a major she be allowed to live at a place of her choice. However, the criminal writ petition No. 192 of 2011 has been withdrawn on 26th September, 2011 to move the High Court for appropriate relief.

और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से प्रजापिता ब्रह्माकुमारी हर्षा द्वारा दाखिल किए गए रिट पिटिशन (नं. 20359/2011) को पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन के रूप में हाई कोर्ट ने स्वीकार किया।

A criminal miscellaneous writ petition has been filed under case No. 20359/2011 in the Allahabad High Court by Prajapita Brahmakmari Harsha subsequently whereby the said petition was converted by the High Court as Criminal Writ Public Interest Litigation No.20359 of 2011 and is pending with the court even as of now.

फ़र्रुखाबाद में आ.ई.वि.वि. की छवि को बदनाम होते हुए **देख**, देश के कोने-2 से **कन्याओं के माता-पिता और** परिवार के ढेर सदस्य **सिटी मैजिस्ट्रेट कोर्ट** फ़र्रुखाबाद **में अपने-2 बयान देने** पहुँचने लगे। कोर्ट के सामने **ये** सभी लोग यह स्पष्ट करने में जुटे रहे कि हमारी मेजर और माइनर कन्याएँ हमारी और उनकी खुद की इच्छाओं के अनुसार ही ईश्वरीय **ज्ञान की** प्राप्ति के हेतु फ़र्रुखाबाद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह **रही** हैं। उनके बयानों को सपोर्ट करते हुए नोटराइज्ड ऐफ़िडेविट्स भी सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश **कराए गए**। सच्चे ऐफ़िडेविट्स को **झूठा** साबित करने का कोई तंत्र सिटी मैजिस्ट्रेट के पास **है ही नहीं**। झूठे साबित किए बिना ऐफ़िडेविट्स को ठुकरा भी नहीं सकते।

Being hurt at hearts on seeing the defamatory news spread over in respect of the "AVV family", a huge number of AIVV family members, from the nuke and corners of the country rushed to Farrukhabad to give evidences stating that their major and minor daughters are kept at the Farrukhabad "AVV" at their wish and will only for the purpose of acquiring spiritual knowledge. Their statements before the City Magistrate are clearly supported by the written notarized affidavits in which their intentions are duly mentioned. The affidavits cannot be rejected unless they are proved to be false. No machinery is left with the City Magistrate to prove the affidavits are untrue and reject them.

10-09-11	हिन्दुस्तान	आश्रम के बचाव में जुटे नेता-अधिकारी। बाबा के 70 शिष्याओं ने दर्ज कराए बयान। शिष्याएँ बोलीं- सिर्फ़ ज्ञान लेने आती हैं।
05-09-11	दैनिक जागरण	अनुयायी बोले- झूठे हैं लोगों के आरोप।
10-09-11	दैनिक	बच्चों के माता-पिता ने बयान दिया कि बच्चे उनकी मर्ज़ी से आश्रम में हैं

	जागरण	
11-09-11	दैनिक जागरण	बच्चों की डाक्टरी जाँच न की जाएँ, बिना माता-पिता की अनुमति के उन्हें छुआ भी न जाएँ। ऐसा कहना है बाबा के शिष्यों का, जो शनिवार 10-09-2011 को मैजिस्ट्रेट जाँच में बयान देने को पहुँचे थे।
10-09-11	अमर उजाला	आश्रम के पक्ष में आगे आए अनुयायी ; 105 संवासिनियों, प्रजापिता ब्रह्माकुमारों ने दर्ज कराए सिटी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान ; बयान दर्ज कराने बाबा के देश भर से शिष्य यहाँ पहुँचे ; माँ-बाप के साथ आए थे बच्चे ; 54 लोगों ने दर्ज कराए बयान
11-09-11	अमर उजाला	बाबा के 50 भक्तों ने दर्ज कराए बयान। झूठा शपथपत्र देने वाले जाएँगे जेल। सिटी मैजिस्ट्रेट।

Some more news headings are reflected hereunder.

Hindusthan	09-10-11	The politicians and the Officers united in favor and rescue of the Ashram. 70 students of Baba have got their statements recorded. The students said, they come only to acquire knowledge.
Dainik Jagaran-Yahoo	09-04-11	The followers said the complaints of the people are false.
Dainik Jagaran	09-10-11	The parents of the children gave statements that their children are in the Ashram at their own will .
Dainik Jagaran	09-11-11	The medical tests for the children should not be done. No one can even not touch them without the permission of the parents. These are the words of the students who reached the Magistrate court to get their statements recorded.

Amar Ujala	09-10-11	The followers came in favor of the Ashram. 105 girls and Prajapita Brahma Kumars have got their statements recorded in court of City Magitrate. Students of Baba from the entire country reached. 54 children came along their parents. The people got their statements recorded.
Amar Ujala	09-11-11	50 devotees of Baba got their statements recorded. People giving false statements will go to jail. City Magistrate .

कुछ जर्नलिस्ट्स सिर्फ़ आ.ई.वि.वि. परिवार के प्रति अफवाहें फैलाने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने शिवबाबा के ईश्वरीय ज्ञान को भी कुछ इस प्रकार अपमानित किया।

Some journalists did not satisfy by mere spreading defamations and jeering at the "AVV family". Now the knowledge being imparted by Supreme Soul Shiv Baba is also subjected to defamation.

05-09-11	दैनिक जागरण	ज्ञान लेने के लिए शपथपत्र की आवश्यकता क्यों ?
11-09-11	हिन्दुस्तान	क्या है बाबा वीरेंद्र देव का भट्ठी ज्ञान ? सात दिन भट्ठी ज्ञान के बाद साधक दे देता शपथपत्र। सात दिन में माइंड वाश कर बना दिया जाता पक्का शिष्य।

Dainik Jagaran-Yahoo	09-05-11	What is the necessity of affidavit to obtain knowledge?
Hindusthan	09-10-11	What is the Bhatti Knowledge of Baba Virendra Deo Dixit ? The student gives affidavit after getting Bhatti Knowledge for seven days. After brain washing for a period of seven days, they will be made as permanent follower.

अपमान और अपयश के रास्तों से गुज़रते-2, गालियों को नज़रअंदाज करते हुए, धमकियों पर ध्यान न देते हुए आ.ई.वि.वि. परिवार के तरफ़ आगे बढ़ी कु. मीना कुछ ही दिनों में शिवबाबा की छत्रछाया में और **आध्यात्मिक** परिवार से फिर से जुड़ गई, जबकि फ़र्रुखाबाद का और बाकी यू.पी. के अनेक शहरों का वातावरण **सर्दियों में भी** गरमागरमी का ही रह गया।

इस केस से संबंधित कुमारी मीना के मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की गई है।

Making her travel through the roads of defamations and threats; without caring for the abuses; and with her undeterred determination, Meena joined back the AVV family again under the canopy of Shiv Baba, while the aggravated circumstances remained burning hot in the Farrukhabad and other towns of U.P even during the winter. A copy of the statement by Miss Meena before the Magistrate is annexed.

मु० अ० सं० 2514/2011 धारा 364, 342 IPC

पुलिस प्रपत्र सं० 341

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

न्यायालय/वादी/कार्यालय के लिए

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना कोत० फर्रुखाबाद

सब डिस्ट्रिक्ट सदर

जिला फर्रुखाबाद

संख्या 326/11

घटना की दिनांक व समय दि. 23.8.2011 1.30 बजे दिन

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दि. 28-8-11 13.45 P.M.	आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय सिकत्तर बाग, कहद of पुलिस दूरी 1 K.M दिशा पश्चिम [illegible]	डाक से

नोट — प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि, गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले व दर्ज का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री नेपाल प्रसाद राय नि० मकान नं० [illegible] थाना कोतवाली [illegible] जिला	1. बाबा वीरेन्द्र दीक्षित S/O आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय सिकत्तर बाग कोत० फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद 2. बाबा के अन्य सहयोगी स्त्री व पुरुष नाम पता अज्ञात	अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण कर संस्था के अन्दर [illegible] रखना जुर्म धारा 364, 342 IPC	वादी की तहरीर के आधार पर आज [illegible] मुकदमा पंजीकृत किया गया। सूचना में जो देरी है उसका कारण वादी [illegible] विवेचना [illegible] श्री [illegible] गुप्ता I/C [illegible] को दी।	तफ्तीश होगी

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

राकेश कुमार

हस्ताक्षर [illegible]

पद 28-8-11

नोट — सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

28-8-11

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

पेज सं०
पृष्ठ सं०

न्यायालय के लिये
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

धारा 363/366 IPC

खण्ड विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध ...

नाम................................

थाना-डिस्ट्रिक्ट..... थाना कोत० नगर (बांदा)

पता.........

मु०अ०सं० 505/11

थाना का दिनांक व समय .... 23-8-11 समय 2 बजे दिन

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
23-8-11 समय 15-35	आश्रम अटल कुटी मो० अलीगंज कोतवाली 2 किमी०	तत्काल

नोट–प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिये।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जाई गई सम्पति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
1	2	3	4	5
वादी पंकज कुमार केसरवानी पुत्र ... नि० मौ० अलीगंज ... बांदा	प्रथम ① बृजेन्द्र कुमार उर्फ भूरा शिवहरे ② राजू शिवहरे पुत्र ... साकिनान मौ० अलीगंज कोतवाली बांदा	अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री मीना देवी को ले जाना / धारा 363/366 IPC	सूचना पेशी कि ... मामला ... [illegible]	तामील ...

आदेश ...

सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.........

सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिये। पद.........

23/8/11

बयान अन्तर्गत धारा-164 CrPC

दिनांक-3-9-11

मु० अ० सं० 035/11
अन्तर्गत धारा- 363/366 IPC
थाना कोतवाली नगर
जिला - बांदा

नाम-मीना, पुत्री राकेश कुमार, उम्र- बयान कर्ती के अनुसार लगभग 19 वर्ष, निवासी - अली गंज खूंटी चौराहा, थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

सशपथ

मैं अपने माता-पिता एवं भाई बहनों के साथ मोदी लाल शरीफ के मकान पर रहती हूँ। मेरे मकान के बगल में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय स्थित है। मैं करीब 2 महीने से उस विद्यालय में जाती हूँ। मेरे माता-पिता को भी यह मालूम था। मैं शुरू के एक महीने रोज एक घंटा उस विद्यालय में जाती थी। उस विद्यालय में ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है। मैंने भी वह कोर्स किया था। वहाँ बहनों के द्वारा कोर्स कराया जाता था। जिन महिलाओं की शादी नहीं हुयी होती थी उन्हें 'बहने' और जिनकी शादी हो गयी थी उन्हें 'माता' कहते थे। वहाँ मुझे अच्छा लगता था। मैं कक्षा-7 तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी मामी मुझे वहाँ जाने से मना करती थी। इस कारण एक महीना लगातार जाने के बाद मैं कभी-कभी विद्यालय जाती थी। दिनांक 23-8-11 को दोपहर में मैं अपने घर से निकली। घर से कुछ दूर मुझे ईश्वरीय विद्यालय की एक माता जी मिली। उन्हें मैंने एक दिन पहले ही फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय जाने की इच्छा बताई थी। फर्रुखाबाद के विद्यालय में विस्तार से आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है।

उन महा. जी का नाम मुझे याद नहीं है। मैं उनके साथ बगैर माता-पिता को बताये फर्रुखाबाद के सिकन्दरपुर [illegible] में स्थित आध्यात्मिक विद्यालय चली गयी। मैंने अपने माता-पिता से फर्रुखाबाद जाने की बात इस लिये नहीं बताई थी कि पहले मेरे माता-पिता मुझे भेजने के लिये टालते रहे थे और कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। एक बार मेरे माता पिता ने मुझे फर्रुखाबाद भेजने से इंकार भी कर दिया था। मैं फर्रुखाबाद दिनांक 24-8-11 को पहुंची थी। वहां पहुंच कर मैंने अपने पिता को फोन करके बता दिया था। मैं आध्यात्मिक विश्व विद्यालय फर्रुखाबाद में 28-8-11 तक रही। मैं किसी ब्रिजेश कुमार या राजू सिंह हरे को नहीं जानती हूं। मेरे पिता ने बृजेश एवं राजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट मुझे जबर दस्ती फर्रुखाबाद लिवा ले जाने की लिखाई है वह गलत है। दिनांक 24-8-11 से 28-8-11 तक मैं फर्रुखाबाद में आश्रम में रही। उस आश्रम में मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। मैं बालिग हूं। मैं अपना भला-बुरा समझती हूं। मैं अपनी मर्जी से फर्रुखाबाद के आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय गयी थी। दिनांक 28-8-11 को मेरे माता-पिता भाई-बहन व अन्य लोग फर्रुखाबाद पहुंचे थे और मुझे वापस ले आये थे। मैं अपने मां बाप के साथ घर जाना चाहती हूं।

पढ़कर तस्दीक किया

ह० [illegible]

यह बयान मेरे द्वारा बोले शब्द लेख में अंकित किया गया।

[illegible]
3-9-11
A-C-J-M I Banda

प्रतिलिपि तैयार कर्ता [illegible]
प्रतिलिपि मिलान कर्ता
शब्द 300

प्रमाणित प्रतिलिपि
8/9/11
प्रधान प्रतिलिपिक
जिला कचहरी-बाँदा

Typed Copy

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा।

मु0अ0सं0 835/11

सरकार बनाम ब्रिजेश कुमार आदि।

धारा 364, 366 आई0पी0सी0

थाना कोतवाली नगर जिला बांदा।

बयान अन्तर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0

दिनांक 3-9-11

नाम मीना पुत्री राकेश कुमार उम्र बयान कर्ती के अनुसार लगभग 19 वर्ष निवासी अलीगंज खूंटी चौराहा थाना कोतवाली नगर जिला बांदा।

सशपथ

मैं अपने माता पिता एवं भाई बहनों के साथ गोंदी लाल सर्राफ के मकान पर रहते है। मेरे मकान के बगल में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय स्थित है। मैं करीब 2 महीने से उस विद्यालय में जाती हूं। मेरे माता पिता को भी यह मालूम था। मैं शुरू के एक महीने रोज एक घंटा उस विद्यालय में जाती थी। उस विद्यालय में चिन के द्वारा आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है। मैने भी यह कोर्स किया था। वहां बहनो के द्वारा कोर्स कराया जाता था। जिन महिलाओं की शादी नहीं हुयी होती थी उन्हें बहने, और जिनकी शादी हो गयी थी उन्हें माता कहते थे। वहां मुझे अच्छा लगता था। मैं कक्षा 7 तक पढी हूं। उसके बाद मैंने अपनी पढाई छोड दी थी। मेरी ममम्मी मुझे वहां जाने से मना करती थी। इस लिये एक महीना लगातार जाने के बाद मैं कभी कभी विद्यालय जाती थी। दिनांक 23-8-11 को दोपहर में मैं अपने घर से निकली। घर से कुछ दूर मुझे ईश्वरीय विद्यालय की एक माता जी मिली। उनसे मैने एक दिन पहले ही फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरी विद्यालय जाने की इच्छा बताई थी। फर्रुखादाद के उन माता जी का नाम मुझे बाद नहीं है। मैं उनके साथ बगैर माता पिता को बताये फर्रुखाबाद के सिकत्तर बाग में स्थित आध्यात्मिक विद्यालय चली गयी। मैने अपने माता पिता से फर्रुखाबाद जाने की बात

इस लिये नहीं बताई क्यों कि पहले मेरे माता पिता मुझे भेजने के लिये टालते रहते थे और कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। एक बार मेरे माता पिता ने मुझे फर्रुखाबाद भेजने से इंकार भी कर दिया था। मैं फर्रुखाबाद दिनांक 24-8-11 को पहुंची थी। वहां पहुंच कर मैंने अपने पिता को फोन करके बता दिया था। मैं आध्यात्मिक विश्व विद्यालय फर्रुखाबाद में 28-8-11 तक रही। मैं किसी ब्रिजेश कुमार या राजू शिवहरे को नहीं जानती हूं। मेरे पिता ने अगर ब्रिजेश एवं राजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट मुझे जबरदसती फर्रुखाबाद लिवा ले जाने की लिखाई है यह गलत है। दिनांक 24-8-11 से 28-8-11 तक में फर्रुखाबाद में आश्रम में रही। उस आश्रम में मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। मैं वालिग हूं। मैं अपना भला बुरा समझती हूं। मैं अपनी मर्जी से फर्रुखाबाद के आध्यामिक ईश्वरी विश्वविद्यालय गयी थी। दिनांक 28-8-11 को मेरे माता पिता भाई बहन व अन्य लोग फर्रुखाबाद पहुंचे थे और मुझे वापस वापस ले आये थे। मैं अपने मां बा पके साथ घर जाना चाहती हूं।

सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान मेरे द्वारा अपने
हस्त लेख में अंकित किया
गया।
ह0अ0

सत्य प्रतिलिपि

एस0डी0 राकेश कुमार

एस0डी0 विमला

मै जितने समय पुलिस के साथ रही मुझे किसी ने परेशान नही किया मुझे पुलिस से कोई शिकायत नही है।

एस0डी0 मीना

एच0जी0 रानी सिंह

(मीना की चाची गीतिका सिंह उर्फ नीलम सिंह शिक्षिका)

एस0डी0

डी0के0सैनी

उपनिरीक्षक थाना कोतवाली नगर बादां

3.9.2011

पुलिस प्रपत्र संख्या–340

116577

मूल/द्वितीय प्रतिलिपि
अन्तिम रिपोर्ट

प्रथम–सूचना संख्या 505 तारीख 28.8.11 (वादी की सूचना के लिये)

अन्तिम रिपोर्ट संख्या 164 तारीख 03.09.2011

या सूचना देने वाले का और पता	[illegible]
या अभियोग का स्वरूप	[illegible]
ई गई सम्पत्ति का विवरण कोई हो)	[illegible]
युक्त व्यक्तियों के नाम और (यदि कोई हो)	[illegible]
गिरफ्तारी की गई है तो तारी का दिनांक तथा समय	[illegible]
किये जाने का दिनांक समय, क्या जमानत पर या लके पर छोड़ा गया।	[illegible]
पत्ति (हथियारों सहित), जो गई हो। किसने, कहाँ पाई मैजिस्ट्रेट के पास भेजी गई नहीं ? विवरण सहित	[illegible]
प में प्रपत्र सूचना या भियोग, पुलिस कार्यवाही का णाम सहित विवरण, जाँच द करने का कारण	[illegible]
य विवरण	

दिन/रात दिनांक ——— महीना ——— सन् ——— को यह रिपोर्ट भेजी गयी।

जाँच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

लय की आज्ञा

हस्ताक्षर मैजिस्ट्रेट

प्रमाणित प्रतिलिपि

स0यू0पी0–07 पुलिस–11–9–08–13,000 बुक्स (डी0टी0पी0/आफसेट)।

मु0अ0सं0 835 धारा 363, 366 आई0पी0सी0 थाना कोतावली नगर बांदा जिला बांदा।

अतिम रिपोर्ट

थाना– कोतवाली नगर बांदा

जिला– बांदा

प्रथम सूचना सं0 505/11 दिनांक 28.8.11

अतिम रिपोर्ट सं0 164/11 दिनांक 3.9.11

वादी– राकेश कुमार बेलदार पुत्र कांता प्रसाद निवासी अलीगंज खूटी चौराहा थाना कोतवाली गनर बांदा।

धारा– 363, 366 आई0पी0सी0

पुलिस विवेचना का परिणाम– श्रीमान जी, निवेदन है कि दिनाक 28.8.11 को वादी श्री रकेश कुमार वादी मुकदमा उपरोक्त की तहरीर पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ विवेचना मुझ एस0आई0

द्वारा की गयी तो कुमारी मीना दिनांक 23.8.11 को बांदा से आध्यात्मिक ईश्वरी विधालय फर्रूखाबाद अपनी मर्जी से माता पिता को बताये बगैर चली गयी थी। जिसके पता लगने पर दिनांक 28.8.11 को वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। दिनांक 28.8.11 को फर्रूखाबाद से कुमारी मीना मिल गयी जिसके 161 व 164 सी0आर0सी0 के बयान से किसी जुर्म का होना नही पाया गया अतः विवेचना द्वारा अतिम रिपोर्ट समाप्त की गयी। अतिम रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है तथा जुर्म खारिजा रिर्पोट प्रेषित की जा रही है स्वीकृत करने की कृपा करें।

दिनांक– 3.9.2011

अमर उजाला

विज्ञापन नहीं, विडिओ
क्योंकि सवाल है आप की सेहत
एन्टी आक्सीडेन्ट्स

नमूने, सबको क्लीनचिट

[illegible]

मीना ने दी फर्रुखाबाद आश्रम को क्लीनचिट

अमर उजाला ब्यूरो

- मां-बाप की रिपोर्ट को गलत बताया
- कहा- उसे आश्रम में परेशान नहीं किया

बांदा। फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बरामद की गई 10 वर्षीय कुमारी मीना ने आश्रम को क्लीनचिट दे दी है। साथ ही दो लोगों के खिलाफ उसे भगा ले जाने की अपने माता-पिता की रिपोर्ट को भी गलत बताया है। अब वह अपने मां-बाप के साथ रहेगी।

अलीगंज खूंटी चौराहा निवासी कुमारी मीना पुत्री राकेश कुमार ने अदालत में दिए धारा 164 सीआरपीसी के बयानों में कहा है कि वह अपने घर के बगल में स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में करीब दो महीने तक जाती रही। वहां रोज एक घंटा बिताती थी। आश्रम में चित्रों के माध्यम से आध्यात्मिक कार्य कराया जाता था। वहां रह रहीं [illegible] की शादी नहीं हुई [illegible] बहन और शादीशुदा को 'माता' कहा जाता है। मीना ने कहा कि वह कक्षा 7 तक पढ़ी है और बालिग है। वह अपना अच्छा-बुरा समझती है। मीना ने कहा है कि 23 अगस्त को दोपहर वह अपने घर से निकली तो कुछ दूर उसे ईश्वरीय विद्यालय की एक माता जी मिलीं। [illegible] एक दिन [illegible] फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाने की इच्छा जताई थी। वहां विस्तार से आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है। उसे उन माता जी का नाम याद नहीं है। उनके साथ वह मां-बाप को बताए बिना फर्रुखाबाद सिकन्दराबाद आश्रम चली गई। मां-बाप को इसलिए नहीं बताया कि वह भेजने के लिए स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। मीना ने बताया कि 24 से 28 अगस्त तक वह फर्रुखाबाद में रही। मीना ने साफ शब्दों में कहा है वह बृजेश कुमार [illegible] शिवानी को नहीं जानती। उसके माता-पिता ने इन दोनों के खिलाफ मुझे जबरदस्ती फर्रुखाबाद ले जाने की जो रिपोर्ट लिखाई है, वह गलत है। फर्रुखाबाद आश्रम में उसे किसी ने परेशान नहीं किया। वह बालिग है और अपना भला-बुरा समझती है। अब वह अपने मां-बाप के साथ [illegible] चाहती है।

अरमापुर पी.[illegible]

प्र.सू.रि. 255/11 धारा 147/323/504/506/427 IPC

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

पुलिस प्रपत्र सं0 341

न्यायालय / वादी / कार्यालय के लिए
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड–विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना कोतवाली फर्रुखाबाद

सब डिस्ट्रिक्ट सदर

जिला फर्रुखाबाद

संख्या 833/11

घटना की दिनांक व समय 1-9-11 समय 11 बजे दिन

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
1-9-11 18.35	आवास विकास कॉलोनी विकास भवन फर्रुखाबाद व [illegible] दिशा दक्षिण [illegible]	[illegible]

नोट :– प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध न ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकद्दमे का परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible] फर्रुखाबाद	1. [illegible] 2. [illegible] पता [illegible]	[illegible] धारा 147/323/504/506/427 IPC	[illegible]	[illegible]

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर
पद

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

38

नकल तहरीर हिन्दी वादिनी

सेवा में, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फर्रुखाबाद।
जी, से निवेदन है कि, आज दिनांक 1-09 2011 करीब दोपहर 1.
जी की कमाण्डर अंजली यादव एवं सहयोगी मिनी सरला पाण्डेय व
50-60 महिलायें व पुरुषों को लेकर, अज्ञात जनरल पब्लिक भीत
आये और अभद्रता पूर्वक गाली गलौच देकर, और साथ 'आश्रम
वीरेन्द्र बाबा मुर्दाबाद' के भी नारे बाजीया लगाते गये, अभद्रता पूर्वक व्यवहार
किया, पत्थर फेंके, मुख्य बड़ा दरवाजा जिसमें ताले लगे हैं, छड़े लोहे
हथौड़ा आदि हथियारों से धक्का देकर तोड़ डाला। अन्दर रखा, हुआ
(साइकिल रिक्शा) कार जिस की वाहन संख्या नम्बर ... 3930 है
डाला सिलाई मशीन, कुर्सीया आदि सामानों को, लाखों रुपयों की
को नुकसान कर दिया। सारा सामान बिखरा दिया। आश्रम को बन्द करने की
धमकी दी। यह सारा करते समय आश्रम के सेवा धारी निवासी बहनें व
भाइयों, माताओं को मारा पीटा। यह घटना क्रम 3-4 घंटे तक चला
इस कारण सभी आश्रम निवासी भयभीत हैं, और प्राण संकट में हैं।
इस घटना क्रम का पूरा आश्रम गवाह है। अतः श्रीमान जी से निवेदन
है कि रिपोर्ट दर्ज करके हमें सुरक्षा प्रदान करें तथा उचित कार्यवाही
करने की कृपा करें। प्रार्थी ब्र.कु. हर्ष आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व
विद्यालय ... सिकन्दरपुर, जिला- फर्रुखाबाद कोतवाली फर्रुखाबाद
(ह0 अ0)

नोट मैं HM 46 प्रमोद कुमार मिश्रा प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की
नकल बिना कम व ज्यादा शब्द व वाक्य की गयी है

ह0 अपठनीय
1.9.11

मु० अ० सं० 2550/11 धारा 147/323/504/336/427 IPC PS कोतवाली फर्रुखाबाद जि० फर्रुखाबाद

आरोप - पत्र (मूल)

पुलिस प्रपत्र संख्या-38

जिला फर्रुखाबाद

थाना कोतवाली फर्रुखाबाद

प्रथम सूचना संख्या 332/11 तारीख 1-9-11 सन् 201

आरोप पत्र संख्या 324/11 तारीख 22-11-2011 सन् 201

अपराध संख्या 2550/11

1	2				3						4	5	6	7	8	9		
अर्जी या सूचना देने वाले का नाम, पता और पेशा	नाम और पता अभियुक्त जो चालान नहीं किये गये हैं। चाहे पकड़े गये हों या न पकड़े गये हों				अभियुक्तों का नाम व पते जिनका चालान किया गया है						माल (हथियार सहित) जो पाये गये हों इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं भेजा गया।	आरोप या सूचना अपराधों का नाम और उससे संबंधित परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण और विवाद की वह धारा जो अपराधी के सम्बन्ध में लगायी गई हो।	मुकदमा का परिणाम	गवाहों के नाम और पते	विवरण अपराधी	पूर्व सजायें		
	संदिग्ध अभियुक्त		फरार अभियुक्त		गिरफ्तार		जमानत व जारी मुचलके पर		मफरूर									
	नाम	उम्र	नाम	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र						दिनांक	स्थान	सजा
प्र० नि० ह० यादव नि० [illegible] [illegible] जिला [illegible] मुकदमा [illegible] PS कोतवाली फर्रुखाबाद	प्रेषक [illegible] मिश्रा [illegible]				जमानत- 1- श्रीमती [illegible] पत्नी सुनील यादव नि० [illegible] थाना कोतवाली फर्रुखाबाद [illegible] 2- श्रीमती सरला [illegible] पत्नी [illegible] नि० पक्का तालाब [illegible] PS कोतवाली फर्रुखाबाद 3- पप्पू यादव उर्फ दीपक यादव पुत्र [illegible] नि० महावीरगंज II PS कोतवाली फर्रुखाबाद 4- साजू उर्फ इलियास S/o [illegible] नि० [illegible] PS कोतवाली फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद 5- मोनू दुबे उर्फ अनुराग दुबे S/o महेन्द्र दुबे नि० [illegible] PS [illegible] 6- रंजन मिश्रा S/o [illegible] मिश्रा नि० [illegible] PS कोतवाली फर्रुखाबाद जि० फर्रुखाबाद 7- डब्बू मिश्रा उर्फ [illegible] मिश्रा S/o [illegible] मिश्रा नि० [illegible] PS कोतवाली फर्रुखाबाद जि० फर्रु० 8- सुनील यादव S/o [illegible] नि० [illegible] PS कोतवाली फर्रुखाबाद 9- [illegible]							संक्षिप्त विवरण- निवेदन है कि दि० 1-9-2011 को वादिनी [illegible] पुत्री [illegible] नि० [illegible] PS [illegible] जिला [illegible] हाल [illegible] थाना कोतवाली फर्रुखाबाद [illegible] ने अभियुक्तगण [illegible] व 50-60 [illegible] समय 11 बजे दिन [illegible] गाली गलौज मारपीट व पथराव [illegible] उक्त मुकदमा पंजीकृत [illegible] विवेचना [illegible] साक्ष्य आदि से अभियुक्त पप्पू यादव, साजू, मोनू दुबे, रंजन मिश्रा, डब्बू मिश्रा, सुनील यादव, मिथलेश [illegible] के [illegible] अभियोग [illegible] साक्ष्य आदि से अभियुक्तगण [illegible] धारा 147/323/504/336/427 IPC [illegible] के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है [illegible] माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के [illegible] नं० 21/84/11 तारीख 20-10-2011 [illegible] धारा 147/323/504/336/427 [illegible]						

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी [illegible] फर्रुखाबाद

[illegible] PS कोतवाली [illegible] को भेजा गया

प्रेषण का दिनांक .... सन् 201

विवेचना करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] न्यायालय किया जाता है।

[illegible]

गवाह [illegible]

1. प्र॰ कु॰ कु॰ दर्शी D/o [illegible] R/o धोराजी PS धोराजी जिला राजकोट गुजरात [illegible]
2. फकीरे लाल [illegible] S/o पर्वतलाल निवासी [illegible] PS [illegible] जिला [illegible] हाजिर [illegible]
3. प्र॰ कु॰ [illegible] D/o [illegible] R/o सरिता [illegible] रेलवे गेट के पास [illegible] पुणे -34 [illegible]
4. [illegible] D/o [illegible] R/o [illegible] RB 4-3/002 [illegible] पुणे -18 [illegible]
5. [illegible] W/o [illegible] R/o जयपुर [illegible]
6. [illegible] D/o [illegible] R/o ग्राम [illegible]
7. विनय सिंह यादव S/o [illegible] R/o ग्राम [illegible] PS [illegible] जि॰ [illegible]
8. HM 46 [illegible]
9. [illegible] PS [illegible]

[illegible]
[illegible]

To [illegible]